न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, आमेर जिला जयपुर

प्रार्थना पत्र संख्या :– 236 / 2024
जीसीएमएस संख्या :– 2024 / 498

सरकार जरिये तहसीलदार आमेर बनाम गिर्राज वगै0

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 मय प्रा0 पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय   दिनांक – 14.05.2025

प्राथी तहसीलदार, तहसील आमेर ने पत्राक आर0ए0 / 2024 / 190 दिनांक 05.12.2024 द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 मय प्रा0 पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि पटवार हल्का लबाना के ख0न0 632, 633, 634, 635 अकृषि उपयोग क्षेत्रफल 0.21 है0 का आवासीय कॉलोनी के रूप से बिना संपरिवर्तन अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग किया जा रहा है। मौके पर कृषि भूमि पर ग्रेवल सडक डालकर बिना भू रूपान्तरण आवासीय कॉलोनी सृजित की जा रही है। अतः धारा 177 आरटीए 1955 के तहत कार्यवाही की जावें।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलवी पूर्ण की गयी। अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री ब्रजेश पारीक ने वकालतनामा पेश किया।

अप्रार्थीगण ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि न्यायालय हाजा के समक्ष तहसीलदार आमेर की ओर से वादग्रस्त भूमि के संबंध में प्रकरण अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट मय अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि वाके ग्राम लबाना, पटवार हल्का लबाना, तहसील आमेर, जिला जयपुर में स्थित खातेदारी भूमि ख0न0 616 रकबा 0.43 हैक्टे0, ख0न0 617 रकबा 0.40 हैक्टे0, ख0न0 618 रकबा 0.28 हैक्टे0, ख0न0 619 रकबा 0.29 हैक्टे0, ख0न0 621 रकबा 0.06 हैक्टे0, ख0न0 622 रकबा 0.07 हैक्टे0, ख0न0 623 रकबा 0.08 हैक्टे0, ख0न0 624 रकबा 0.06 हैक्टे0, ख0न0 625 रकबा 0.03 हैक्टे0, ख0न0 626 रकबा 0.05 हैक्टे0, ख0न0 627 रकबा 0.05 हैक्टे0, ख0न0 628 रकबा 0.44 हैक्टे0, ख0न0 629 रकबा 0.32 हैक्टे0, ख0न0 630 रकबा 0.33 हैक्टे0, ख0न0 631 रकबा 0.32 हैक्टे0, ख0न0 632 रकबा 0.07 हैक्टे0, ख0न0 633 रकबा 0.06 हैक्टे0, ख0न0 634 रकबा 0.04 हैक्टे0, ख0न0 635 रकबा 0.04 हैक्टे0, ख0न0 636 रकबा 0.14 हैक्टे0, कुल किता 20 कुल रकबा 3.54 हैक्टे0 स्थित है जिसमें से खसरा नम्बर 632, 633, 634, 635 के संबंध में तहसीलदार आमेर द्वारा प्रकरण अन्तर्गत 177 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट का इस आशय का प्रस्तुत किया जाना स्वीकार है लेकिन शेष तथ्य अस्वीकार है। वादग्रस्त भूमि को खातेदारान द्वारा शुरू से ही खेती काश्त करते हुये उपयोग उपभोग करते आ रहे है तथा प्रार्थी सरकार द्वारा धारा 177 के तहत जो कार्यवाही की है, जो सरासर गलत है। कानूनन तहसीलदार द्वारा भेजी गई रिपोर्ट से भी यह स्पष्ट दर्शित होता है कि प्रश्नागत भूमि में ना ही तो कोई आवासीय कॉलोनी बनी हुई है, ना ही आवासीय कॉलोनी हेतू रोडे, डिमार्केशन, लाईट बिजली के खम्भे या भूखण्डो में विभक्त नही किया गया है। कानूनन जहॉ भूमि का अकृषि प्रयोजन हेतु उपयोग उपभोग में नही लिया जाता तब तक धारा 177 प्रावधान लागू नही होते है। प्रकरण का पैरा संख्या 2 गलत होने से अस्वीकार है। प्रश्नागत भूमि की [illegible] दर्ज खातेदारान द्वारा संयुक्त रूप से सामालाती कब्जे काश्त के आधार पर वर्तमान

उपखण्ड अधिकारी
आमेर जिला जयपुर

में भी खेती की जा रही है। यदि न्यायालय हाजा पक्षकारान की मौजूदगी में प्रश्नागत भूमि की वास्तविक मौका स्थल की रिपोर्ट संबधित पटवारी, तहसीलदार से मंगवाई जाती है तो प्रार्थी सदैव तैयार व तत्पर है तथा जवाब के साथ कमीश्नर रिपोर्ट मंगवाये जाने हेतू प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रार्थना पत्र का मद संख्या 3 गलत होने से अस्वीकार है। अधीनस्थ तहसीलदार, महोदय द्वारा प्रस्तुत प्रकरण सीपीसी आदेश 7 नियम 1 की पालना में विधिवत रूप से वाद प्रारूप अनुसार प्रस्तुत नही किया हुआ है। बल्कि साईक्लोस्टाईल में सरसरी तोर पर वेग अस्पष्ट पैरे कायम कर प्रकरण तैयार किया गया है। ऐसे प्रकरण प्रोपर प्लीडिग के अभाव में काबिले खारिज है। यहाँ उल्लेख करना आवश्यक है कि अधिनस्थ तहसीलदार द्वारा जो मौका रिपोर्ट पटवारी हल्का से तलब की गई है वह रिपोर्ट बिना पक्षकारान को बिना सूचना दिये तथा पक्षकारान को विधिवत नोटिस दिये बिना प्रस्तुत की गई है। उक्त रिपोर्ट पर केवल मात्र पटवारी हल्का के हस्ताक्षर है। ऐसी वेग अस्पष्ट व अपूर्ण रिपोर्ट के आधार पर अप्रार्थीगण के खिलाफ कोई कार्यवाही अमल में नही लायी जा सकती है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत जवाब को रिकॉर्ड पर लिया जाकर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाकर धारा 177 रा0टी0ए0 एक्ट की कार्यवाही को ड्रोप किये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करे।

अप्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 26 नियम 9 सपठित धारा 151 सीपीसी का पेश हुआ जिसके अनुसार विवादग्रस्त आराजी के बाबत तहसीलदार को मौका कमिश्नर नियुक्त किये जाने के आदेश प्रदान करने बाबत निवेदन किया। दिनांक 19.03.2025 को प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार किया जाकर तहसीलदार, तहसील आमेर से मौका रिपोर्ट तलब की गई।

प्रार्थना पत्र की मौका रिपोर्ट में तहसीलदार आमेर ने पत्रांक आर.ए./2025/91 दिनांक 19.03.2025 द्वारा रिपोर्ट भिजवाई जिसका सार इस प्रकार है– हाल रिकार्ड अनुसार ग्राम लबाना के ख0न0 632 लगायत 635 किता 4 रकबा 0.21 हैक्टे0 की खातेदारी नाबालिग आलिशा पुत्री राजेश कुमार संरक्षक माता ममता देवी हिस्सा 1/72, नाबालिग आशा पुत्र राजेश कुमार संरक्षक माता ममता देवी हि0 1/72, गिरिराज पुत्र कन्हैयाला हि0 1/18, गोपाल पुत्र बालू हि0 1/3, जैली पुत्र कन्हैयालाल हि0 1/18, नाबालिग तनु पुत्री राजेश कुमार सरक्षक माता ममता देवी हि0 1/72, तोपी देवी पुत्री कन्हैया लाला हिस्सा 1/18, दैवीलाल पुत्र कन्हैयालाल हि0 1/18, ममता देवी पत्नि राजेश कुमार हि0 1/72, महादेव पुत्र बालू हि0 1/3, सावित्री पुत्री कन्हैयालाल हिस्सा 1/18 जाति रैगर सा0 देह खातेदार दर्ज रिकार्ड है। प्रश्नागत खसरान पर हाल रिकार्ड अनुसार माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर के मुकदमा संख्या 236/2024 उनवान जरिये तहसीलदार बनाम गिरिराज वगै0 में मौका एवं रिकार्ड की यथास्थिति का नोट अंकित है। वर्तमान मौका स्थिति अनुसार मौके पर पूर्व में डाली गई ग्रेवल सड़क को जिसको वर्तमान में मौके से हटाकर कृषि कार्य किया जा रहा है। प्रश्नागत भूमि के पूर्व तथा उत्तर दिशा में बाउण्ड्रीवाल बनी हुई है। शेष दिशा में तारबंदी की हुई है। प्रश्नगत भूमि में वर्तमान में किसी प्रकार का अकृषि कार्य नही किया जाकर कृषि कार्य किया जा रहा है। अतः श्रीमान जी को रिपोर्ट अग्रिम कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

हमने विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी। रिपोर्ट तहसीलदार, आमेर के अनुसार वर्तमान मौका स्थिति अनुसार मौके पर पूर्व में डाली गई ग्रेवल सड़क को जिसको वर्तमान में मौके से हटाकर कृषि कार्य किया जा रहा है। प्रश्नागत भूमि के पूर्व तथा उत्तर दिशा में बाउण्ड्रीवाल बनी हुई है। शेष दिशा में तारबंदी की हुई है। प्रश्नगत भूमि में वर्तमान में किसी प्रकार का

उपखण्ड अधिकारी
आमेर, जिला- जयपुर.

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, आमेर जिला जयपुर

अकृषि कार्य नही किया जाकर कृषि कार्य किया जा रहा है। अतः न्यायालय का मत है कि धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रभाव कृषि से भिन्न अकृषि उपयोग बिना विधिवत संपरिवर्तन कराये भू0 उपयोग परिवर्तन की स्थिति में लागू होता है। तहसीलदार जो कि भूमि–धारक होता है कि रिपोर्ट से स्पष्ट प्रदर्शित हो रहा है कि भूमि का वर्तमान उपयोग कृषि कार्य में हो रहा है। अतः धारा 177 मय स्थगन प्रार्थना पत्र(टी.आई.) से काश्तकार को पाबंद करना न्यायोचित नहीं है। अतः वर्तमान में भूमि का उपयोग कृषि कार्य में होने के कारण दावा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम मय अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं है। अतः तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत दावा धारा 177, स्थगन प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पोषणीय नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है।

आज दिनांक 14.05.2025 ..... को निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी आमेर जिला – जयपुर

(बजरंग लाल)
उपखण्ड अधिकारी
आमेर जिला जयपुर